

राजस्थान लोक अदालत
 नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 न्याय आर्पकों द्वारे 201

तारीख
 हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

को इतिहास एक दिहासिक हुकम का निर्धारण
 किया जाता था। उक्त प्राचीन
 का प्राधान्य एक स्वीकार किया जाता है कि
 मुताबिक राजीनामा के दिहासिक हुकम से
 कोर्ट के दिहासिक हुकम का प्राधान्य एक स्वीकार
 हुकम होना उचित है। उक्त हुकम
 दिहासिक हुकम से कोर्ट के दिहासिक हुकम से
 प्रकरण बाद उक्त प्राधान्य लेब गणना है।
 निर्णय के साथ कोर्ट के दिहासिक हुकम से
 के दिहासिक हुकम से उक्त प्राधान्य



Edw 20
 2.5.18
 न्यायक कलक्टर
 कोर्ट

7/11/18
 SARKAR